छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

मंगलवार, दिनांक 12 जनवरी, 2010

(पौष-22, शक संवत् 1931)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 14 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 08 (कुल 08) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्न संख्या 03 पर डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, सदस्य की अनुपस्थिति में श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य अधिकृत थे।

प्रश्नोत्तर सूची में अतारांकित प्रश्नों के रूप में 12 प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 03 पर चर्चा के दौरान श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया ।

3. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार -

(1) छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (क्रमांक 2 सन् 2009) तथा

(2) पंडित सुन्दर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (क्रमांक 3 सन् 2009)

पटल पर रखा।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने संसद के दोनो सदनों द्वारा पारित संविधान (एक सौ नौवां संशोधन) विधेयक, 2009 के संबंध में लोक सभा तथा राज्य सभा की कार्यवाहियों तथा उक्त संशोधन के अनुसमर्थन के लिए प्राप्त लोक सभा सचिवालय का सूचना पत्र पटल पर रखा।

5. जुलाई, 2009 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार जुलाई, 2009 के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तर पटल पर रखे गए।

6. जुलाई, 2009 सत्र के समय पूर्व सत्रावसान के कारण बैठक हेतु पूर्व निर्धारित तिथि की मुद्रित प्रश्नोत्तरी का पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 13-क की अपेक्षानुसार तृतीय विधान सभा के जुलाई, 2009 सत्र का दिनांक 30 जुलाई, 2009 को सत्रावसान के कारण बैठक हेतु पूर्व निर्धारित तिथि 31 जुलाई, 2009 की मुद्रित प्रश्नोत्तरी सदन के पटल पर रखी गई।

7. नियम 267-क के अधीन जुलाई, 2009 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार नियम 267-क के अधीन जुलाई, 2009 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा गया।

8. राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि तृतीय विधान सभा के जुलाई, 2009 सत्र में पारित सभी 05 विधेयकों पर महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है। अनुमति प्राप्त विधेयकों का विवरण सचिव, विधान सभा सदन के पटल पर रखेंगे।

सचिव, विधान सभा द्वारा अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक-30-क की अपेक्षानुसार, तृतीय विधान सभा के जुलाई, 2009 सत्र में पारित सभी 05 विधेयकों पर महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है, का विवरण सदन के पटल पर रखा गया।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम दर्शाने वाला विवरण पत्रक भाग-दो के माध्यम से माननीय सदस्यों को पृथक से वितरित किया जा रहा है।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा किसानों के उपर लाठी चार्ज की घटना पर प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग करते हुए नारेबाजी की गई। माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रतिपक्ष के सदस्यों से सदन की परंपरा के अनुकूल कार्यवाही चलाने में सहयोग का आग्रह किया गया।

प्रतिपक्ष द्वारा निरंतर नारेबाजी से व्यवधान होने के कारण 12.22 बजे सदन की कार्यवाही स्थगित होकर 12.38 बजे पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

कार्यवाही प्रारंभ होते ही विपक्ष के सदस्यों द्वारा पुनः नारेबाजी की गई। माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रतिपक्ष के सदस्यों से सभा की कार्यवाही चलाने में सहयोग की अपील की गई।

9.बहिर्गमन

शासन द्वारा उत्तर न दिये जाने के विरोध में श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया ।

10.ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री देवजी पटेल, सदस्य ने राजधानी रायपुर के पण्डरी कपड़ा मार्केट में कपड़ा व्यवसायी की हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री विजय बघेल, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(2) श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने प्रदेश की राजधानी रायपुर में स्वाइन फ्लू बीमारी के उपचार हेतु मूलभूत सुविधा का अभाव होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री अमर अग्रवाल, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

11. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री परेश बागबाहरा, सदस्य ने खल्लारी विधान सभा क्षेत्र के कृषकों को स्थाई विद्युत कनेक्शन नहीं मिलने,

(2) महंत रामसुंदर दास, सदस्य ने जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र का मुख्य सड़क हसौद से बाराद्वार का कार्य अपूर्ण होने, तथा

(3) श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य ने वार्ड क्रमांक-18, सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड पर विद्युत तार खुले आम खींचे जाने,

संबंधी शून्य काल की सूचना पढ़ी।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्यसूची के पद क्रमांक 10 का कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

12. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि-

(1) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-24, मरवाही से निर्वाचित सदस्य श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी द्वारा जनवरी-मार्च, 2010 सत्र में दिनांक 11 जनवरी से 15 जनवरी, 2010 की बैठकों से तथा,

(2) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-25, कोटा से निर्वाचित सदस्य डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी द्वारा जनवरी-मार्च, 2010 सत्र में दिनांक 12 जनवरी से 15 जनवरी, 2010 की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा चाही गई है।

(सदन द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई।)

13. संकल्प

श्री रामविचार नेताम, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री ने संकल्प प्रस्तुत किया कि-

"यह सदन, भारत के संविधान में उस संशोधन का अनुसमर्थन करता है जो, संविधान के अनुच्छेद 368 के खण्ड(2) के परन्तुक (घ) की व्याप्ति के अंतर्गत आता है और जो संसद के दोनो सदनों द्वारा यथापारित संविधान (एक सौ नौवां संशोधन) विधेयक, 2009 द्वारा किए जाने के लिए प्रस्तावित है।"

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

डॉ.हरिदास भारद्वाज।

श्री रामविचार नेताम, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प पर मत लिया गया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(1.34 से 3.03 बजे तक अंतराल)

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

14. वर्ष 2009-2010 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान

माननीय अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि -अब अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी । परंपरानुसार सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उन पर एक साथ चर्चा होती है। अत: मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि वे सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत कर दें।

(सदन द्वारा सहमति दी गई।)

श्री कोमल जंघेल, संसदीय सचिव ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि :-

दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या - 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 54, 55, 57, 64, 66, 67, 79, 80, 81 एवं 82 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर एक हजार तीन सौ उनतालीस करोड़, इक्यावन लाख, उनतीस हजार, आठ सौ रूपये की अनुपूरक राशि दी जाये ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष ने आसंदी का ध्यानाकर्षित किया कि द्वितीय अनुपूरक अनुमान वित्तीय विषय है, अतः इसे माननीय मुख्यमंत्री को सदन में उपस्थित होकर प्रस्तुत करना चाहिए।

15. व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली में संसदीय सचिव भी मंत्री हैं, अतः वे प्रस्तुत कर सकते हैं और चाहे तो इसको छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम-06 में देखा जा सकता है, यह नियम 06 में उद्धत है और अपनी प्रक्रिया में है इसलिए इसको मान्य किया जाता है।

श्री परेश बागबाहरा सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया -

सर्वश्री रविशंकर त्रिपाठी, टी.एस.सिंहदेव, भीमा मंडावी, धर्मजीत सिंह, डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, डॉ.शक्राजीत नायक, लखमा कवासी, दीपक कुमार पटेल, सौरभ सिंह, अग्नि चंद्राकर, दयालदास बघेल, विरेन्द्र कुमार साहू,

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

श्री दूजराम बौद्ध, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्यसूची के पद क्रमांक 12 का कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

16. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2010 (क्रमांक-1 सन् 2010)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2010 (क्रमांक-1 सन् 2010) का पुर:स्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2010 पर विचार किया जाय ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खंण्डश: विचार हुआ ।

खंड 2, 3 व अनुसूची विधेयक का अंग बने ।

खंड 1 विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2010 पारित किया जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

सायं 5.57 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 13 फरवरी, 2009 (पौष 23, शक संवत् 1931) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा